This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 30 जनवरी, 2026 / 10 माघ, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग

अधिसूचना

शिमला, 28 जनवरी, 2026

संख्याः पर्यटन–ए(3)–2 / 2025.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 64 की उप–धारा (2) के खण्ड

(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012 का और संशोधन करने का प्रस्ताव करते हैं और इन्हें जनसाधारण की सूचना के लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 64 की उप–धारा (3) के अधीन यथापेक्षित के अनुसारर राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

यदि इन नियमों द्वारा सम्भाव्य प्रभावित होने वाले किसी व्यक्ति के कोई आक्षेप या सुझाव हैं, तो वह उसे / उन्हें इन प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश को डाक द्वारा या ई–मेल tourism@hp.gov.in पर भेज सकेगा;

उपरोक्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप(पों) या सुझाव(वों) यदि कोई हों, पर इन नियमों को अन्तिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया जाएगा, अर्थातः––

<table>
<tr><td>1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः</td><td>(1) इन नियमों का सक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम, राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।</td></tr>
<tr><td>2. नियम 4 का संशोधनः</td><td>हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण नियम, 2012.

(जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त नियम'' कहा गया है) के नियम 4 में,––

(i) "मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा या रोकड़ (नकद) विहित प्राधिकारी के कार्यालय में जमा की जानी है, में दी जाएगी" शब्दों और चिन्हों के स्थान पर "(ई–सर्विस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा की जाएगी" चिन्ह और शब्द रखे जाएंगे।

(ii) सारणी की प्रविष्टि (क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः–
"<table><tr><td>(क) पर्यटन इकाई</td><td>कमरों की संख्या X शत–प्रतिशत अधिभोग पर एक दिन के वास्तविक किराए का आधा</td><td>–</td><td>–</td></tr></table>
(iii) सारणी की प्रविष्टि (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगाः–
<table><tr><td>(ञ)</td><td>प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए फीस।</td><td>रजिस्ट्रीकरण फीस का शत–प्रतिशत</td></tr></table>"</td></tr>
<tr><td>3. नियम 5 का संशोधनः</td><td>उक्त नियम के नियम 5 के उप–नियम (3) में "प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक दो वर्ष की अवधि" शब्द रखे जाएंगे।</td></tr>
</table>

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव,
(पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन)।

[Authoritative English Text of this Department Notification No. TSM-A (3)-2/2025, dated 28-01-2026 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TOURISM & CIVIL AVIATION DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 28th January, 2026

File No. TSM-A (3)-2/2025.—In exercise of the powers conferred by Clause (c) of sub-section (2) of Section 64 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration Act, 2002 (Act 15 of 2002), the Governor, Himachal Pradesh proposes to amend the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012 and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh as required under sub-section (3) of Section 64 of the Act *ibid*, for the information of the general public;

If any person, likely to be affected by these rules has any objection(s) or suggestion(s), he may send the same to the Director (Tourism & CA), Himachal Pradesh, Shimla by post or on e-mail address tourism@hp.gov.in within a period of thirty days from the date of publication of the said draft rules in the Rajpatra (e-Gazette) of Himachal Pradesh;

The objection(s) or suggestion(s), if any, received within the above stipulated period shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these rules, namely :—

<table>
<tr><td>1. Short title and commencement:</td><td>(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade (Amendment) Rules, 2025.

(2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.</td></tr>
<tr><td>2. Amendment of rule 4:</td><td>In rule 4 of the Himachal Pradesh Tourism Development and Registration of Tourism Trade Rules, 2012(herein after referred to as the said rules).—

(i) For the words and signs, “through a demand draft or cash (to be deposited in the office of prescribed authority),” the words and signs, “to be submitted through online (e-service Portal),” shall be substituted.

(ii) For entry (a) of the table, following shall be substituted, namely:—

<table>
<tr><td>(a) Tourism Unit</td><td>No. of rooms X half of actual room rent at 100% occupancy for one day.</td><td>-</td><td>-</td></tr>
</table>

(iii) For entry (j) of the table, following shall be substituted, namely:—

<table>
<tr><td>(j)</td><td>Fee for renewal of certificate.</td><td>100% of the registration fee.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

3. Amendment of rule 5	In rule 5 of the said Rules, in sub-rule (3) of rule 5, for the words and digit "a period of every 3 years", the words and digit "a period of every 2 years" shall be substituted.

By order,

DEVESH KUMAR,
Principal Secretary (Tourism & CA).

Office of the Additional District Registrar of Marriages-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Jhandutta, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh**

In the matter of.—

1. Sh. Rakesh Kumar s/o Sh. Kirpu Ram, r/o Village Dhari Bhari, P.O. Matla, Tehsil Jhandutta, Distt. Bliaspur (H.P.).

2. Pratibha d/o Sh. Shri Nath, r/o House No. 1815/30 Street No. 1 Vijay Nagar Industry Area A Millerganj Ludhiana Punjab . . *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.— Notice of Marriage.

Applicants Rakesh Kumar & Pratibha have filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 in which they have stated that they have solemnized their marriage on dated 27-11-2025 at Village Dhari-Bhari, P.O. Matla, Tehsil Jhandutta, District Bilaspur (H.P.).

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 03-02-2026, after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 02-01-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-
Additional District Registrar of Marriages-cum-*S.D.M.,*
Jhandutta, Distt. Bilaspur (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub_Divisional Magistrate, Ghumarwin, District Bilaspur (H.P.)**

In the matter of :

1. Vikrant aged 34 years s/o Sarwan Singh, Village & P.O. Dhabiri, Tehsil Dhatwal at Bijhari, Distt. Bilaspur (H.P.)

2. Ngipwang Konyak aged 35 years d/o Mosa Konyak, r/o 23, Church Road, Ward No. 7, Naginimora HQ. Mon, Nagaland, 798622, Aadhar No. 3937 9654 4550 . . *Applicant.*

Versus

General Public

Subject.—Application under section 15, 16 of the Special Marriage Act, 1954 for registration of Marriage.

Vikrant aged 34 years and Ngipwang Konyak aged 35 years have filed an application alongwith affidavit. In the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) with the submission that they have solemnized their mariage on 08-10-2025 Shiv Mandir, Ghumarwin, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) according to Hindu rites and customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be regiatered under section 15, 16 of the Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that a person/agency having any objection regarding this marriage may file the objection personally or in writing before this court on or before 19-02-2026 and after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 19-01-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 12 ना0 तह0 / वाचक / उप–तहसील / तेलका / 2026–95–96 दिनांक : 21–01–2026

रेखा देवी पुत्री सोभिया, गांव सेरी, डा0 पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)
. . वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी। . . प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-1153, दिनांक 17–01–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) परिवार नकल, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका रेखा देवी पुत्री सोभिया, गांव सेरी, डा0 पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका रेखा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व

जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 17–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेखा देवी पुत्री सोभिया, गांव सेरी, डा0 पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 09–08–1980 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका रेखा देवी पुत्री सोभिया, गांव सेरी, डा0 पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सेरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 10 ना0 तह0 / वाचक / उप–तहसील / तेलका / 2026–86–87 दिनांक : 21–01–2026

रेखा देवी पुत्री अमरो राम, गांव व डा0 लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)
.. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लिग्गा, विकास खण्ड सलूणी। .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-980, दिनांक 15–01–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) परिवार नकल, (6) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका रेखा देवी पुत्री अमरो राम, गांव व डा0 लिग्गा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका रेखा देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 15–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि रेखा देवी पुत्री अमरो राम, गांव व डा0 लिग्गा, तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 24–10–1978 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में

आवेदिका रेखा देवी पुत्री अमरो राम, गांव व डा0 लिग्गा की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, लिग्गा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 11 ना0 तह0 / वाचक / उप–तहसील / तेलका / 2026–88–89 दिनांक : 21–01–2026

माया देवी पुत्री माधो राम, गांव भवडोगा, डा0 पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) .. वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सेरी, विकास खण्ड सलूणी। .. प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-1151, दिनांक 17–01–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) वोटर कार्ड, (6) विद्यालय त्याग प्रमाण–पत्र, (7) आधार कार्ड जिसमें आवेदिका माया देवी पुत्री माधो राम, गांव भवडोगा, डा0 पन्ताह, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका माया देवी का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 17–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि माया देवी पुत्री माधो राम, गांव भवडोगा, डा0 पन्ताह, तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 18–08–1990 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका माया देवी पुत्री माधो राम, गांव भवडोगा, डा0 पन्ताह की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव, सेरी को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री कुशल सिंह, नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 09 ना0 तह0 / वाचक / उप–तहसील / तेलका / 2026–80–81 दिनांक : 20–01–2026

रमेश कुमार पुत्र जगदेऊ , गांव बंजेडू, डा0 मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत मौड़ा, विकास खण्ड सलूणी। ..प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025-975, दिनांक 15–01–2026, (2) शपथ पत्र, (3) जन्म रिपोर्ट, (4) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (5) परिवार रजिस्टर नकल, (6) आधार कार्ड, जिसमें आवेदक रमेश कुमार पुत्र जगदेऊ , गांव बंजेडू, डा0 मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की पुत्री कशिश शर्मा की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदक की पुत्री कशिश शर्मा का नाम एवं जन्म दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 15–01–2026 को जारी हुआ है, उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि कशिश शर्मा पुत्री रमेश कुमार, गांव बंजेडू, डा0 मौड़ा, उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 23–08–2009 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किया जाने हैं। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के एक माह के भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में कशिश शर्मा पुत्री रमेश कुमार, गांव बंजेडू, डा0 मौड़ा, की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव मौड़ा को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील तेलका, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

––––––––––

In the Court of Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Sh. Kishori Lal s/o w/o d/o Sh. Rujgari, r/o Village Aura, P.O. Aura, Tehsil & District Chamba (H.P.) ..*Applicant.*

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Sh. Kishori Lal s/o w/o d/o Sh. Rujgari, r/o Village Aura, P.O. Aura, Tehsil & District Chamba (H.P.) has filed affidavit for registration of Delayed Birth/Death of *i.e.* 01-07-1968 for further entry in the records of Gram Panchayat Aura, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Sh. Kishori Lal s/o Rujgari	01-07-1968

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Aura, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this day of 2026.

Seal. Sd/-

Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Tehsildar-cum**-Executive Magistrate, Bharmour, District Chamba (H.P.)**

Sh. Ravinder Kumar s/o w/o d/o Sh. Balku, r/o Village & P.O. Badgran, Tehsil & District Chamba (H.P.) ..*Applicant.*

Versus
General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under Section 13(3) of the H.P. Registration of Births and Deaths Act, 1969.

Whereas, Sh. Ravinder Kumar s/o w/o d/o Sh. Balku, r/o Village & P.O. Badgran, Tehsil & District Chamba (H.P.) has filed affidavit for registration of Delayed Birth/Death of his/her daughter *i.e.* 24-06-2015 for further entry in the records of Gram Panchayat Badgran, development block Bharmour. It has been stated in the application that due to some unavoidable circumstances death could not be registered well in time.

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Sh. Manu Thakur d/o Ravinder Kumar	24-06-2015

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/ claim regarding the registration of birth of above named in records of concerned Gram Panchayat Badgran, may file their claim/objection on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued under my hand & seal today on this day of 2026.

Seal. Sd/-

Tehsildar-cum-*Executive Magistrate,*
Bharmour, Distt. Chamba (H.P.).

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Chamba, District Chamba (H. P.)

Sh. Parveen Kumar s/o Sh. Jodh Singh, resident of Village Bhanota, P.O. Chaned, Tehsil & District Chamba (H. P).

and

Smt. Manish Devi d/o Sh. Lakhveer Singh, resident of Village Koh, P.O. Barour, Tehsil & District Chamba H.P.

Versus

The General Public

Subject.— Notice regarding registration of Marriage under section 15 & 16 of Special of Marriage Act,1954.

Whereas, the above named applicants have made an application before the undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (Amendment Act 01, 49 of 2001) alongwith affidavits and other relevant documents stating therein that they have solemnized their marriage on 15-07-2024 at their place of residences and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Now therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding the registration of this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 21-02-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the Court on this 20th January, 2026.

Seal.

RAHUL DHIMAN, HAS,
Sub-Divisional Magistrate,
Chamba, District Chamba (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

बीना कुमारी पुत्री श्री गौरू राम, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ..... वादिया।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चकलू, विकास खण्ड चम्बा ..... प्रतिवादी।

विषय.––जन्म तिथि प्रविष्ट करने बारे।

इस अदालत में उप–मण्डलाधिकारी (ना0) महोदय चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या 353/2026, दिनांक 17–01–2026 के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज क्रमशः (1) जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) मुख्य

चिकित्सा अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2025/583, दिनांक 08–01–2026, (2) शपथ पत्र आवेदिका, (3) शपथ–पत्र वाशिन्दगान देह, (4) जन्म रिपोर्ट, (5) अप्राप्यता प्रमाण–पत्र, (6) परिवार रजिस्टर नकल, (7) आधार कार्ड, जिसमें आवेदिका बीना कुमारी पुत्री श्री गौरू राम, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश की जन्म तिथि किन्हीं कारणों से पंचायत अभिलेख में दर्ज करने से रह गई है। परिणामस्वरूप पंचायत जन्म पंजीकरण रजिस्टर में आवेदिका बीना कुमारी पुत्री श्री गौरू राम, गांव घटटा, डाकघर चकलू का नाम एवं जन्म तिथि दर्ज न हुआ है जोकि नियमानुसार अनिवार्य है। इस विषय की पुष्टि शपथ–पत्र व जारी जन्म रिपोर्ट जो जिला पंजीकरण जन्म एवं मृत्यु अधिकारी चम्बा ने अपने प्रमाण–पत्र जो दिनांक 08–01–2026 को जारी हुआ है उसमें की है।

अतः सर्वसाधारण को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि बीना कुमारी पुत्री श्री गौरू राम, गांव घटटा, डाकघर चकलू, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, की जन्म तिथि 11–10–1963 जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के प्रावधानों के अन्तर्गत पंचायत के सम्बन्धित अभिलेख अथवा जिला पंजीकरण (जन्म एवं मृत्यु) द्वारा अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाने हैं। अगर किसी को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वह इस अदालत में नोटिस (इश्तहार) के जारी होने के एक माह के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में आवेदिका बीना कुमारी पुत्री श्री गौरु राम, गांव घटटा, डाकघर चकलू की जन्म तिथि सम्बन्धित अभिलेख में दर्ज करने के आदेश ग्राम पंचायत सचिव चकलू को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
03 / NT / 2025	मृत्यु तिथि पंजीकरण	19–01–2026	03–02–2026

श्रीमती आशा देवी पत्नी सरूप कुमार, वासी मोहाल जगरूप नगर, तहसील सुजानपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

मृत्यु तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्रीमती सुदर्शना पुत्री नरोतम दास उर्फ नीरू राम, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये मृत्य तिथि पंजीकरण प्रार्थिया श्रीमती आशा देवी पत्नी सरूप कुमार, वासी मोहाल जगरूप नगर, तहसील सुजानपुर, जिला कांगड़ा, (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसकी बहन श्रीमती सुदर्शना पुत्री नरोतम दास उर्फ नीरू राम, वासी मोहाल बगेहडा उपरला, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की मृत्यु दिनांक 05–04–1993 को मोहाल जगरूप नगर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 में हुई थी तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत बीड बगेहडा में दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत बीड बगेहडा में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त मृत्यु तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह तारीख पेशी 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806445/2025	नाम दुरुस्ती	20–12–2025	03–02–2026

श्री रणजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, वासी गांव थाथी गुरडवालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..... वादी।

बनाम

आम जनता ..... प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र.––नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्री रणजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, वासी गांव थाथी गुरडवालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री रणजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह, वासी गांव थाथी गुरडवालां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसका मोहाल थाथी गुरडवालां, के राजस्व अभिलेख में रणजीत सिंह पुत्र प्रेम सिंह दर्ज है जबकि उनका सही नाम रणजीत सिंह भंद्राल पुत्र प्रेम सिंह है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रणजीत सिंह भंद्राल पुत्र प्रेम सिंह किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी रणजीत सिंह का नाम मोहाल थाथी गुरडवालां में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
05 / NT / 2026	जन्म तिथि पंजीकरण	19–01–2026	03–02–2026

श्री सागर सिंह पुत्र पृथ्वी चन्द, वासी मोहाल जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री सागर सिंह पुत्र पृथ्वी चन्द, वासी मोहाल जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री सागर सिंह पुत्र पृथ्वी चन्द, वासी मोहाल जोल लम्बरी, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 09–02–1964 को ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत जोल लम्बरी में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
04 / NT / 2026	जन्म तिथि पंजीकरण	19–01–2026	03–02–2026

श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र रूप लाल, वासी मोहाल करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

जन्म तिथि पंजीकरण under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र रूप लाल, वासी मोहाल करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र बराये जन्म पंजीकरण श्री सुरिन्द्र कुमार पुत्र रूप लाल, वासी मोहाल करोट, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 20–03–1926 को ग्राम पंचायत करोट में हुआ था तथा सहवन गलती से ग्राम पंचायत करोट में दर्ज नहीं हो पायी है। लिहाजा इसे ग्राम पंचायत करोट में दर्ज करने के लिए आदेश पारित किए जाएं।

अतः प्रतिवादी आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त जन्म तिथि पंजीकरण बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश दे दिये जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
806417/2025	नाम दुरुस्ती	18–11–2025	09–02–2026

श्री राम सिंह पुत्र बुधि सिंह, वासी गांव बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ..वादी।

बनाम

आम जनता ..प्रतिवादी।

प्रार्थना–पत्र.––नाम दुरुस्ती under section 37(1) 1954 श्री राम सिंह पुत्र बुधि सिंह, वासी गांव बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

प्रार्थना–पत्र नाम दुरुस्ती प्रार्थी श्री राम सिंह पुत्र बुधि सिंह, वासी गांव बजरोल, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि उसके पिता का नाम मोहाल बजरोल के राजस्व अभिलेख में बिधि सिंह पुत्र मसद्दी दर्ज है जबकि उसके पिता का सही नाम बुधि सिंह पुत्र मसद्दी है। लिहाजा इसे मोहाल बजरोल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करके बिधि सिंह उर्फ बुधि सिंह पुत्र मसद्दी किया जाए।

अतः इस नोटिस के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 09–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थी राम सिंह के पिता का नाम मोहाल बजरोल के राजस्व अभिलेख में दुरुस्त करने के आदेश दे दिये जायेंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
27/NT/2025	तकसीम	23–09–2025	10–02–2026

दीपक कुमार

बनाम

अमर नाथ आदि

वाक्या मोहाल टिक्कर, मौजा चबूतरा, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि.प्र.)

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्वश्री 1. बलदेव सिंह पुत्र सिकीरी देवी, 3. गोमा देवी पुत्री सिकरी देवी, 4. उर्मिला देवी पुत्री सिकरी देवी, 5. निशा देवी पुत्री सिकरी देवी, 6. गौरव कुमार पुत्र प्रेम कुमार, वासीगण मोहाल टिक्कर, डाकघर री, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) हैं।

उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 10–02–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)

मिसल नम्बर	किस्म मुकद्दमा	तारीख दायर	तारीख पेशी
25/NT/2025	तकसीम	29–08–2025	10–02–2026

संजीव कुमार

बनाम

प्रमोद सिंह आदि

वाक्या मोहाल सन्वीं कलां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर, (हि.प्र.)

उपरोक्त वर्णित मुकद्दमा किस्म तकसीम हुकमन अधोहस्ताक्षरी की अदालत में विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादीगण सर्वश्री 1. प्रमोद सिंह पुत्र मनिया पुत्र जट, 2. धर्म सिंह पुत्र मनिया पुत्र जट, 3. रंचू पुत्री मनिया पुत्र जट, 4. मैना देवी विधवा मनिया पुत्र जट, 5. बलदेव सिंह पुत्र जोंका पुत्र जट, 6. कर्म सिंह पुत्र जोंका पुत्र जट, 7. कमला देवी पुत्री जोंका पुत्र जट, 8. कृष्णी देवी विधवा जोंका पुत्र जट, 9. लच्छो पुत्र जट पुत्र मौजी, 10. विन्दरो देवी पुत्री जट पुत्र मौजी, 11. राजो देवी पुत्री जट पुत्र मौजी, 12. धोली देवी पुत्री जट पुत्र

मौजी, 13. कलां देवी पुत्री घनेइया पुत्र मौजी, 14. राम देई पुत्री घनेइया पुत्र मौजी, 15. जानकी पुत्री घनेइया, 16. सुखां देवी पुत्री घनेइया पुत्र मौजी, 17. वचित्र सिंह पुत्र साहणू पुत्र मौजी, 18. दलीप सिंह पुत्र साहणू पुत्र मौजी, 19. रूप लाल पुत्र साहणू पुत्र मौजी, 20. प्रीतम चन्द पुत्र साहणू पुत्र मौजी, 21. संजय वर्मा पुत्र निक्का उर्फ टेक चन्द वर्मा पुत्र जट, 22. आशा देवी पुत्री निक्का उर्फ टेक चन्द वर्मा पुत्र जट, 23. कमलेश कुमारी पुत्री निक्का उर्फ टेक चन्द वर्मा पुत्र जट, 24 सोमा देवी पत्नी निक्का उर्फ टेक चन्द वर्मा पुत्र जट, वासीगण मोहाल सन्वीं कलां, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) हैं।

उपरोक्त प्रतिवादीगण की तामील साधारण तरीके से नहीं हो पा रही है। इसलिए उन्हें बजरिया अखबार इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह मुकद्दमा की पैरवी हेतु दिनांक 10–02–2026 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन अदालत हजा में हाजिर आवें अन्यथा आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 02 / 2026 तारीख फैसला : 19–02–2026

श्री जय करण पुत्र रोशन लाल, गांव खरठ खास, डाकघर खरठ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

आम जनता गांव हरदीपुर, डाकघर लगडू, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
प्रधान / सचिव, ग्राम पंचायत लगडू .. प्रतिवादी।

विषय.––हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

वादी श्री जय करण पुत्र रोशन लाल, गांव खरठ खास, डाकघर खरठ, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 11–06–1982 को हुआ है परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत लगडू में नहीं करवाया है। इसलिए उसके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत लगडू को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 19–02–2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जाएगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

कमला देवी पुत्री तारा चन्द, वासी गांव गाहरन, डाकघर बने दी हट्टी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1966.

प्रार्थिया कमला देवी पुत्री तारा चन्द, वासी गांव गाहरन, डाकघर बने दी हट्टी, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 06–05–1953 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 23–02–2026

रघुवीर सिंह पुत्र श्री जोगी राम, निवासी गांव डुहक, डाकघर गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम दुरुस्त करके रघुनाथ पुत्र श्री जोगी पुत्र श्री चतरू के बजाए रघुवीर सिंह पुत्र श्री जोगी राम पुत्र श्री चतरू दर्ज करने बारे।

रघुवीर सिंह पुत्र श्री जोगी राम, निवासी गांव डुहक, डाकघर गवाल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि वह महाल डुहक, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व उसके पिता का नाम रघुनाथ पुत्र श्री जोगी पुत्र श्री चतरू दर्ज है जबकि प्रार्थी व उसके पिता का असल नाम रघुवीर सिंह पुत्र श्री जोगी राम पुत्र श्री चतरू है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके रघुवीर सिंह पुत्र श्री जोगी राम पुत्र श्री चतरू किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : किस्म मुकद्दमा : दुरुस्ती तारीख पेशी : 16–02–2026

सीमा पुत्री श्री अमरनाथ पत्नी श्री ध्रुव कुमार, निवासी गांव भलेन्द्रा, डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराये दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करके सिंगारो, सिंगारो देवी व सिंगारी देवी पुत्री श्री अमरनाथ पुत्र श्री विशन दास के बजाए सीमा पुत्री श्री अमरनाथ पुत्र श्री विशन दास दर्ज करने बारे।

सीमा पुत्री श्री अमरनाथ पत्नी श्री ध्रुव कुमार, निवासी गांव भलेन्द्रा, डाकघर भराडू, तहसील जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि वह महाल सन्साल, वाग, भटटू उपरला, क्योरी, तहसील बैजनाथ में भू–स्वामी है तथा राजस्व अभिलेख में उसका नाम सिंगारो, सिंगारो देवी व सिंगारी देवी पुत्री श्री अमरनाथ पुत्र श्री विशन दास है जबकि प्रार्थिया का असल नाम सीमा पुत्री श्री अमरनाथ पुत्र श्री विशन दास है। लिहाजा इसे दुरुस्त करके सीमा पुत्री श्री अमरनाथ पुत्र श्री विशन दास किया जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 16–02–2026 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपने उजर / एतराज पेश कर सकता है अन्यथा प्रार्थना–पत्र में नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 12–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Tenzin Phendey s/o Dojee Gyaltsen & Dolma, r/o Namgyal Monestary, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

Vs.

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Tenzin Phendey s/o Dojee Gyaltsen & Dolma, r/o Namgyal Monestary, Mcleodganj, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 02–09–1981 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / संबधित ग्राम पंचायत के जन्म / मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Tenzin Phendey s/o Dojee Gyaltsen & Dolma की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26–02–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Lodoe Norphel s/o Lobsang Dhondup, c/o Lhawang Tsering Men Tsee Khang Patola Road, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.).

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Lodoe Norphel s/o Lobsang Dhondup, c/o Lhawang Tsering Men Tsee Khang Patola Road, P.O. & Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित

मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 26–02–1979 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / संबधित ग्राम पंचायत के जन्म / मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Lodoe Norphel s/o Lobsang Dhondup की जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 26–02–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु एवं जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27–12–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 82186 / 2026 तारीख मजरुआ : 19–01–2026 तारीख पेशी : 16–02–2026

श्री संसार चन्द पुत्र श्री सालीग राम पुत्र गोपी, निवासी महाल घरलाहड़, मौजा कंडी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ..... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ..... फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री संसार चन्द पुत्र श्री सालीग राम पुत्र गोपी, निवासी महाल घरलाहड़, मौजा कंडी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 19–01–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी के पिता का वास्तविक नाम सालीग राम है, परन्तु प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व अभिलेख महाल घरलाहड़ में साली दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाह्न पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, परिवार नकल, शिक्षा प्रमाण–पत्र, पैन कार्ड व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने पिता के नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल घरलाहड़ में प्रार्थी संसार चन्द के पिता का नाम साली के स्थान पर साली उपनाम सालीग राम पुत्र गोपी, निवासी महाल घरलाहड़, मौजा कंडी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–02–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 82185 / 2026 तारीख मजरुआ : 19–01–2026 तारीख पेशी : 16–02–2026

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री वृज लाल पुत्र सुंका राम, निवासी महाल हार, मौज़ा लुहणा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ... फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री कुलदीप चन्द पुत्र श्री वृज लाल पुत्र सुंका राम, निवासी महाल हार, मौज़ा लुहणा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत में दिनांक 19–01–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम कुलदीप चन्द है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल हार में कुलदीप कुमार दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाहन पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, बी0पी0एल0 प्रमाण–पत्र, शिक्षा प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल हार में प्रार्थी का नाम कुलदीप कुमार के स्थान पर कुलदीप चन्द पुत्र श्री वृज लाल पुत्र सुंका राम, निवासी महाल हार, मौज़ा लुहणा, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–02–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

समक्ष नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितिय श्रेणी, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 82184 / 2026 तारीख मजरुआ : 19–01–2026 तारीख पेशी : 16–02–2026

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिडकू पुत्र किरपा, निवासी महाल सुरानी, मौज़ा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता ... फरीकदोयम।

दरख्वास्त बाबत नाम दुरुस्ती।

श्री जगदीश चन्द पुत्र श्री रिडकू पुत्र किरपा, निवासी महाल सुरानी, मौज़ा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने अदालत में दिनांक 19–01–2026 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए अपने प्रार्थना–पत्र में निवेदन किया है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगदीश चन्द है, परन्तु प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख महाल सूरानी में जगो दर्ज हो चुका है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में आवाह्न पत्र तलबाना, नकल जमाबन्दी, स्व घोषणा पत्र, शिक्षा प्रमाण–पत्र व आधार कार्ड साथ संलग्न कर रखे हैं। अब प्रार्थी ने अपने नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित करने हेतु आग्रह किया है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख महाल सुरानी में प्रार्थी का नाम जगो के स्थान पर जगो उपनाम जगदीश चन्द पुत्र श्री रिडकू पुत्र किरपा, निवासी महाल सुरानी, मौज़ा जसाई, तहसील बड़ोह, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 के नाम दुरुस्ती करने बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16–02–2026 को 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी और नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बड़ोह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 24–02–2026

राजवीर कटोच पुत्र श्री अन्नत चन्द कटोच पुत्र स्व0 श्री निधि चन्द, गांव व डाकघर कर्णघट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादीगण।

विषय.––इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

राजवीर कटोच पुत्र श्री अन्नत चन्द कटोच पुत्र स्व0 श्री निधि चन्द, गांव व डाकघर कर्णघट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने स्वयं पेश होकर प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया कि मेरा जन्म दिनांक 06–02–1973 को गांव कर्णघट, डा0 व ग्राम पंचायत कर्णघट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ–पत्र भी संलग्न किया है, परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी के घरवालों ने जन्म पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत कर्णघट के अभिलेख में दर्ज न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत कर्णघट को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त राजवीर कटोच पुत्र श्री अन्नत चन्द कटोच पुत्र स्व0 श्री निधि चन्द, गांव व डाकघर कर्णघट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 06–02–1973 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24–02–2026 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व

उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय पंजीकार ग्राम पंचायत सचिव कर्णघट को जारी कर दिया जावेगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07–01–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02 / 2026 तारीख पेशी : 24–02–2026

श्रीमती संगीता कुमारी पुत्री श्री चन्दू लाल, निवासी गांव अन्द्रौली, डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत धम्मण लाहड, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ·· प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता ·· प्रतिवादी।

विषय.––जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार अखबारी व मुश्त्री मुनादी।

श्रीमती संगीता कुमारी पुत्री श्री चन्दू लाल, निवासी गांव अन्द्रौली, डाकघर वच्छवाई, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत धम्मण लाहड, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर के प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 26–07–1988 को गांव अन्द्रौली, ग्राम पंचायत धम्मण लाहड में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत अन्द्रोली को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त संगीता कुमारी की जन्म तिथि 26–07–1988 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24–02–2026 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त संगीता कुमारी की जन्म तिथि 26–07–1988 के पंजीकरण करने के आदेश उप–स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत धम्मण लाहड को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 12–01–2026 को जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
62 / 2025	05–01–2026	24–02–2026

प्रार्थी अमनदीप पुत्र प्रेम सिंह, निवासी महाल बाग, डा0 दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी अमनदीप पुत्र प्रेम सिंह, निवासी महाल बाग, डा0 दौलतपुर, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र बाबत मृत्यु तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसके दादा श्री चौधरी रम पुत्र श्यामा की मृत्यु दिनांक 25–04–2012 को ग्राम पंचायत दौलतपुर में हुई है। लेकिन उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत दौलतपुर के रिकार्ड में दर्ज न हो सका। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त मृत्यु तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 24–02–2026 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
/ 2025	15–01–2026	24–02–2026

प्रार्थी जगदीश चन्द पुत्र जयकरण दास, निवासी महाल गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण करने बारे।

प्रार्थी जगदीश चन्द पुत्र जयकरण दास, निवासी महाल गगल, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना–पत्र बाबत जन्म तारीख पंजीकरण प्रस्तुत किया है प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी बेटी किरण देवी का जन्म दिनांक 01–10–1982 को ग्राम पंचायत गगल में हुआ है। लेकिन उक्त जन्म तारीख पंजीकरण ग्राम पंचायत गगल के रिकार्ड में दर्ज न हो सका। अतः उक्त तारीख को दर्ज करने के आदेश जारी किए जाएं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तारीख पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज हो तो दिनांक 24–02–2026 को दोपहर 2.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष हाजिर

आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना–पत्र पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

आज दिनांक 19–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कांगड़ा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

**ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार कांगड़ा,
तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख पेशी
01 / 26 / TEH	12–01–2026	11–02–2026

प्रार्थिया समिता रानी पत्नी प्रमोध सिंह, निवासी महाल वल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37(2) भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नाम दुरुस्ती करवाने बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया समिता रानी पत्नी प्रमोध सिंह, निवासी महाल वल्ला, डा0 नंदेहड़, तहसील व जिला कांगड़ा, हि0प्र0 द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष नाम दुरुस्ती हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम महाल वल्ला, पटवार वृत अवदुल्लापुर, तहसील व जिला कांगड़ा हि0प्र0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थिया के पति का नाम प्रमोध सिंह पुत्र मेहर चंद दर्ज है जोकि गलत है जबकि अन्य कागजात में प्रार्थिया के पति का सही नाम प्रमोध पुत्र मेहर चन्द दर्ज है जोकि सही है। अतः राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया के पति का सही नाम प्रमोध सिंह की बजाए प्रमोध सिंह उपनाम प्रमोध पुत्र मेहर चन्द दर्ज किया जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस नाम दुरुस्ती बारे किसी को कोई एतराज हो तो अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 11–02–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि तक एतराज प्राप्त न होने पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19–01–2026 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
कांगड़ा, तहसील व जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, देहरा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

ब मुकद्दमा :

सुभाषना देवी पुत्री नीरू राम, वासी गांव करियाडा निचला, डाकघर करियाडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु तिथि अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया सुभाषना देवी पुत्री नीरू राम, वासी गांव करियाडा निचला, डाकघर करियाडा, तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अपनी जन्म तिथि जोकि 15–03–1955 है, के पंजीकरण हेतु अधोहस्ताक्षरी की अदालत में आवेदन किया है जोकि जेरे समायत है। यदि उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि को दर्ज करने बारे किसी को भी आपत्ति या एतराज हो तो वह प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने उजर / एतराज स्वयं अथवा किसी वांछित के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दर्ज करवा सकता है। किसी आपत्ति / एतराज के न होने की स्थिति में प्रार्थिया की प्रार्थना को स्वीकार किया जाएगा।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी देहरा,
तहसील देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Anil Kumar Gupta s/o Laxman Dass Gupta, r/o No. 803, Darter Block SJR Water Mark Haralur Road, Off. Surajpur, Main Road Banglore South, Hsr Layout, Bahgalore South, Bengaluru, Karnataka 560102, UID 8632906472546.

Vs.

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Commissioner, Municipal Corporation Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Anil Kumar Gupta s/o Laxman Dass Gupta, r/o No. 803, Darter Block SJR Water Mark Haralur Road, Off. Surajpur, Main Road Banglore South, Hsr Layout, Bahgalore South, Bengaluru, Karnataka 560102 UID 8632906472546 ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके बेटे Abhishek Garg s/o Anil Kumar

Gupta Smt. Anita Gupta का जन्म दिनांक 03–09–1982 को तहसील धर्मशाला में हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / संबधित ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त बेटे Abhishek Garg s/o Anil Kumar Gupta & Smt. Anita Gupta की जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 13–02–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 09–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा : जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Beena Thapa w/o Late Sh. Shiv Dutt Thapa, r/o Village Balla, P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P.

Vs.

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Death, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Registrar (Birth & Death)-*cum*-Panchayat Secretary, Concerned G.P.
4. The Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Beena Thapa w/o Late Sh. Shiv Dutt Thapa, r/o Village Balla, P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala, District Kangra, H.P ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके बेटे का जन्म व मृत्यु दिनांक 17–03–1983 को गांव बलला, डा0 सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला में हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला / संबधित ग्राम पंचायत में जन्म / मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है अतः जन्म एवं मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जाये। इस नोटिस इश्तहार / मुश्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Vishay Thapa s/o Late Sh. Shiv Dutt Thapa की जन्म व मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 17–02–2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 81454/2026 तारीख पेशी : 03–02–2026

प्यार चन्द पुत्र सीता राम, निवासी महाल मरहाना, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ... प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम दुरुस्ती बाबत राजस्व अभिलेख।

प्रार्थी प्यार चन्द पुत्र सीता राम, निवासी महाल मरहाना, मौजा व उप–तहसील मझीण, जिला हमीरपुर, हि0प्र0 ने स्वंय उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका नाम पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल मरहाना के राजस्व अभिलेख में प्यार सिंह पुत्र सीता राम दर्ज है जबकि अन्य दस्तावेजों मे उसका नाम प्यार चन्द दर्ज है। अतः राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल मरहाना, मौजा व उप–तहसील मझीण में उसका नाम प्यार सिंह पुत्र सीता राम के बजाए प्यार चन्द पुत्र सीता राम दर्ज किया जाये। वास्तव में भिन्न–भिन्न दो नामों का वह एक ही व्यक्ति है।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिये इश्तहार व मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 03–02–2026 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन व वकालतन पेश होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख के पटवार वृत्त सियालकड़ के महाल मरहाना में प्यार सिंह पुत्र सीता राम के बजाए प्यार चन्द पुत्र सीता राम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 16–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मझीण, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

––––––––––

In the Court of Sh. Nishant Kumar (HAS), Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Dev Chhetri s/o Sh. Vikram Chhetri c/o Hukam Chand, r/o Village and P.O. Thella, Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.).

2. Ambri Devi d/o Sh. Gupt Ram Ram, r/o Village and P.O. Thella, Tehsil Bhunter Distt. Kullu (H.P.).

VS

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Dev Chhetri and Ambri Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 20-10-2005 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 09-02-2026. The objections received after 09-02-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-01-2026 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

In the Court of Sh. Nishant Kumar, H.A.S., Marriage Officer-cum**-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)**

In the matter of :

1. Prithvi Chand s/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Thana, P.O. Thana, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P) presently residing at c/o Naresh Kumar r/o Khokhan Road, V.P.O. and Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)

2. Manjula M d/o Sh. Mahadevappa, r/o No. Ho. No. 208, Behind Ravin Kannada School, Rajagopalanagara, Industries, District Bengaluru, Karnataka presently residing at c/o Naresh Kumar r/o Khokhan Road, V.P.O. and Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)

.. *Applicants*.

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Prithvi Chand and Manjula M filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 16-03-2024 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Act *ibid.*

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this

court on or before 09-02-2026. The objection received after 09-02-2026 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-01-2026 under my hand and seal of the court.

Sd/-

Seal. *Marriage Officer*-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

Before the District Registrar (Marriages)-cum**-Additional Deputy Commissioner Kullu, District Kullu (H.P.)**

1. Sh. Rahul Kumar s/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Bagicha, P.O. Piplage, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P.

2. Smt. Damini d/o Sh. Dewa Jella, r/o Village Mathiyana, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sh. Rahul Kumar s/o Sh. Shyam Lal, r/o Village Bagicha, P.O. Piplage, Tehsil Bhunter, District Kullu, H.P. & Smt. Damini d/o Sh. Dewa Jella, r/o Village Mathiyana, P.O. Vashisht, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 07-05-2025, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Bashona, in Tehsil & District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 22nd January, 2026.

Sd/-

Seal. (ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-*ADC*
Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 37 / IX-A/2025 तारीख दायर दावा : 02–08–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 26–02–2026

1. श्री दलीप सिंह सुपुत्र श्री रूप लाल, 2. श्री संजय ठाकुर सुपुत्र श्री त्रलोक चन्द, 3. श्री अजय ठाकुर सुपुत्र श्री त्रलोक, 4. श्री राजेश्वरी पत्नी श्री त्रलोक समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री अजय कुमार सुपुत्र श्री देश राज, 2. श्री विजय कुमार सुपुत्र श्री विजय कुमार, 3. श्री अनिल कुमार श्री मोहन लाल, 4. श्री अरुण कुमार सुपुत्र श्री नानक चन्द 5. श्री बलविंदर कुमार सुपुत्र श्री नानक चन्द, 6. श्री बन्ती देवी पत्नी श्री नानक चन्द, 7. श्री सुदेश कुमार सुपुत्र श्री मेघ सिंह, 8. श्री विकाश कुमार सुपुत्र श्री मनोहर लाल, 9. श्रीमती कलासी देवी पत्नी श्री मनोहर लाल, 10. श्री जगदीश कुमार सुपुत्र श्री खजाना, 11. श्रीमती सीमा कुमारी सुपुत्री श्री जगपाल ठाकुर, 12. श्रीमती मलका देवी पत्नी श्री जगपाल ठाकुर, 13. श्री सुदेश कुमार सुपुत्र श्री रूप लाल, 14. श्रीमती सरला देवी सुपुत्री श्री मेघ सिंह, 15. श्री खेम चन्द सुपुत्र श्री शाली राम समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 ..प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 30 / 44, खसरा नम्बर कित्ता–29, रकबा तादादी 00–97–78 हैक्टेयर, मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के खाता खतौनी नं0 30 / 44, खसरा नम्बर कित्ता–29, रकबा तादादी 00–97–78 हैक्टेयर मुहाल बैहड की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 5, 6, 14, को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26–02–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 36 / IX-A/2025 तारीख दायर दावा : 01–08–2025 अग्रिम तारीख पेशी : 26–02–2026

1. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, 2. श्री संजय ठाकुर सुपुत्र श्री त्रलोक चन्द, 3. श्री अजय ठाकुर सुपुत्र श्री त्रलोक, 4. श्री राजेश्वरी पत्नी श्री त्रलोक समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 ..प्रार्थीगण।

बनाम

1. श्री सुदेश कुमार सुपुत्र श्री रूप लाल, 2. श्रीमती रामा देवी पत्नी श्री सुदेश कुमार, 3. श्री रमेश कुमार सुपुत्र श्री मेघ सिंह, 4. श्री कैलाश चन्द सुपुत्र श्री रतन चन्द, 5. श्रीमती मुख्यत्यारी देवी पत्नी श्री रतन चन्द, 6. श्री शिव कुमार सुपुत्र श्री राम सिंह, 7. श्री हेम राज सुपुत्र श्री राम सिंह, 8. श्री विनय कुमार सुपुत्र श्री हेम राज, 9. श्री कुलदीप सुपुत्र श्री किशोर चन्द, 10. श्री बलवीर सुपुत्र श्री किशोर चन्द समस्त निवासी बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रत्यार्थीगण।

दरख्वास्त बगर्ज तकसीम दावा खाता खतौनी नं0 40 / 58, खसरा नम्बर कित्ता–39, रकबा तादादी 03–19–51 हैक्टेयर, मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में मुहाल बैहड, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के खाता खतौनी नं0 40 / 58, खसरा नम्बर कित्ता–39, रकबा तादादी 03–19–51 हैक्टेयर मुहाल बैहड की तकसीम करवाने हेतु दरख्वास्त गुजारी है। प्रतिवादी 9 को कई बार समन जारी किये, लेकिन उन्हें समनों की तामील नहीं हो पा रही है।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस तकसीम बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 26–02–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मौका तकसीम करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती शिवा देवी सुपुत्री श्री बौना, निवासी धार, डाकघर दारपा, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी, हि0प्र0।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना–पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम शिवा देवी है, जोकि उसके आधार कार्ड व ग्राम पंचायत दारपा के रिकॉर्ड में सही दर्ज है। लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल दारपा व धाड़ में गलती से उसका नाम शिव देई दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के नाम दुरुस्ती बारे, यदि किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 24–02–2026 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 21–01–2026 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
सरकाघाट, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Dhruv s/o Sh. Rakesh Kumar, r/o Village & P.O. Bharoli Kutiara, Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Dhurav to Dhruv sfor all purpose in future. All concerned please note.

DHRUV
s/o Sh.Rakesh Kumar,
r/o Village & P.O. Bharoli Kutiara,
Tehsil Jawalamukhi, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Savitra w/o Sh. Tike Ram, P.O. Katindhi, Tehsil Sadar, Katindhi, District Mandi (H.P.)-175005 declare that I want to change my name from Savitri Devi to Savitra in Aadhar Card No. 4008 5033 7858. All concerned please note.

SAVITRA
w/o Sh. Tike Ram,
P.O. Katindhi, Tehsil Sadar,
Katindhi, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sandhira w/o Sh. Vijay Singh, Village Atgaon, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Divyansh is wrongly mentioned as Druv in his Aadhar Card No. 7735 9842 4497. Therefore it should be changed to Divyansh in his Aadhar Card. Note the relevant information.

SANDHIRA
w/o Sh. Vijay Singh,
Village Atgaon, P.O. Gaonsari,
Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Bindi w/o Sh. Suresh, r/o Roshan Niwas, Ward No. 5, P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Vidya to Bindi. In future, I will be known only as Bindi. All concerned should take note.

BINDI
w/o Sh. Suresh,
r/o Roshan Niwas, Ward No. 5,
P.O. & Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Meenu Devi d/o Sh. Mahinder Singh, r/o Village Gurduan, P.O. Boh, Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.) declare that my name in my Aadhar Card have been wrongly entered as Veena Devi whereas my correct name is Meenu Devi. Concerned note.

MEENU DEVI
d/o Sh. Mahinder Singh,
r/o Village Gurduan, P.O. Boh,
Tehsil Shahpur, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Indri Devi w/o Sh. Fagnu, r/o V.P.O. Jharag, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Indra Devi in my Aadhar Card No. 6794 3336 3715. Therefore it should be changed to Indri Devi in my Aadhar Card. Note the relevant information.

INDRI DEVI
w/o Sh. Fagnu,
r/o V.P.O. Jharag, Tehsil Jubbal,
District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kunta Devi w/o Sh. Om Prakash, r/o Village Shaneri, P.O. Shingla, Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.) declare that my name Damodari Devi on my Aadhar Card is wrongly mentioned and correct name is Kunta devi as per panchayat record. The name Kunta Devi should be corrected.

KUNTA DEVI
w/o Sh. Om Prakash,
r/o Village Shaneri, P.O. Shingla,
Tehsil Rampur, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Roopa w/o Sh. Surender Mohan, r/o Village Sangla, P.O. Sangla, Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.)declare that my daughter's name Sakishe on her Aadhar is wrongly mentioned and correct name is Sakshi as per Panchayat record. The name Sakshi should be corrected.

ROOPA
w/o Sh. Surender Mohan,
r/o Village Sangla, P.O. Sangla,
Tehsil Sangla, District Kinnaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anju Bala w/o Sh. Twinkle, r/o Village Jhatwari, P.O. Kaloti, Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.) declare that name of my son Arpit is wrongly mentioned as Kaka in his Aadhar Card No. 5114 1181 3611. Therefore it should be changed to Arpit in his Aadhar Card. Note the relevant information.

ANJU BALA
w/o Sh. Twinkle,
r/o Village Jhatwari, P.O. Kaloti,
Tehsil Rohru, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Tek Singh s/o Sh. Manohar Lal, r/o Village Johar, P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.) declare that I want to change my minor daughter's name from Fch to Navya in Aadhar No. 4025 6012 0877. All concerned please note.

TEK SINGH
s/o Sh. Manohar Lal,
r/o Village Johar,
P.O. & Tehsil Karsog, District Mandi (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Aila Banti w/o Sh. Girdhar, r/o Village Chansari, P.O. Bari, Tehsil & District Kullu (H.P.) declare that I have changed my name from Hela Banti to Aila Banti for all future purposes. Concerned note it.

AILA BANTI
w/o Sh. Girdhar,
r/o Village Chansari, P.O. Bari,
Tehsil & District Kullu, (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Prashotam Ram s/o Sh. Jaisi Ram, r/o Village Dadhona, P.O. Rohan, Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Purshotam Kumar which is incorrect. Whereas my correct name is Prashotam Ram. Concerned note.

PRASHOTAM RAM
s/o Sh. Jaisi Ram,
r/o Village Dadhona, P.O. Rohan,
Tehsil Palampur, District Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Rajni Devi age 46 years w/o Sh. Vijay Kumar, r/o Village and P.O. Nandher, Tehsil and District Kangra (H.P.) declare that I am the holder of Aadhar Card No. 6968 2704 1469. My name in the Aadhar Card is Aranjana, my real name is Rajni Devi. Rajni Devi and Aranjana are the same person. I want to have my correct name Rajni Devi registered on my Aadhar Card. Please note everyone.

RAJNI DEVI
w/o Sh. Vijay Kumar,
r/o Village and P.O. Nandher,
Tehsil and District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Smt. Kami Pratima Ramkrishna w/o Sh. Shiv Raj, r/o Village Kalund, P.O. Chachian, Sub-Tehsil Chachian, District Kangra (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is entered as Thapa Pratima Ramkrishna which is incorrect. Whereas my correct name is Kami Pratima Ramkrishna. Concerned note.

KAMI PRATIMA RAMKRISHNA
w/o Sh. Shiv Raj,
r/o Village Kalund, P.O. Chachian,
Sub-Tehsil Chachian, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kiran Rani w/o Ex. GD No. 924280012 Arjan Singh, r/o Village Haler, P.O. Raja Khasa, Tehsil Indora, District Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Kiran Bala & Kiran Salaria to Kiran Rani for all purposes in future. Please note.

KIRAN RANI
w/o Arjan Singh,
r/o Village Haler, P.O. Raja Khasa,
Tehsil Indora, District Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Naman Chopra s/o Sh. Vishal Chopra, r/o House No. 229, Ward No. 1, Hira Nagar Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my name from Anchit Chopra to Naman Chopra for all purposes in future. All concerned please note.

NAMAN CHOPRA
s/o Sh. Vishal Chopra,
r/o House No. 229, Ward No. 1,
Hira Nagar, Hamirpur, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Om Prakash s/o Sh. Dhobe, Village Gharwasra, P.O. Balhjoli, Tehsil Jogindernagar, Balh (327), Mandi (H.P.)-176120 do hereby declare that in Aadhar Card of my minor daughter her name is wrongly entered Misskamini. It should be entered as her correct name Kamini. Concerned please note.

OM PRAKASH
s/o Sh. Dhobe, Village Gharwasra,
P.O. Balhjoli, Tehsil Jogindernagar, Balh (327), Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Vinod Kumar Thakur s/o Sh. Hoshiar Singh Thakur, r/o V.P.O. Lehri Serel, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that in my son's Aadhar Card bearing No. 4374-2334-5001 his name is wrongly entered as Adish Kumar which should be corrected as Adish Thakur. Please correct this.

VINOD KUMAR THAKUR
s/o Sh. Hoshiar Singh Thakur,
r/o V.P.O. Lehri Serel,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Narender Kumar s/o Sh. Hari Dass, r/o Village Bharathu, P.O. Binola, Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor Daughter's name from Nabbu Thakur to Navya Thakur. All concerned please may note.

NARENDER KUMAR
s/o Sh. Hari Dass,
r/o Village Bharathu, P.O. Binola,
Tehsil Sadar, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manish Bhardwaj s/o Rattan Lal Bhardwaj, r/o Village Seu, P.O. Naswal, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Aayansh Bhardwaj to Shaurya Bhardwaj. All concerned please may note.

MANISH BHARDWAJ
s/o Rattan Lal Bhardwaj,
r/o Village Seu, P.O. Naswal,
Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rashma Devi (43 Years) d/o Late Sh. Gali Ram & Smt. Indira Devi and w/o Sh. Piar Chand, r/o Vill. Karot, P.O. Uttrala, Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P.)-176115 declare that I have changed my name from Rashma Devi to Raksha Devi. All concerned please may note.

RASHMA DEVI
d/o Late Sh. Gali Ram,
r/o Vill. Karot, P.O. Uttrala,
Tehsil Baijnath, Distt. Kangra (H.P).

CORRECTION OF NAME

I, Rakesh Kumar s/o Sh. Mohan Lal Verma and Pooja, r/o Village Talo Ka Nall, P.O. Mundaghat, Tehsil & District Shimla (H.P.)-171012 declare that our son Devarsh Verma was born on 01-12-2025 at Kamala Nehru Hospital, Shimla (H.P.). His name has been recorded in the birth certificate as Chirayu Verma by mistake. We want to correct it as Devarsh Verma. All concerned may please note.

RAKESH KUMAR
s/o Sh. Mohan Lal Verma and Pooja,
r/o Village Talo Ka Nall, P.O. Mundaghat,
Tehsil & District Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Saihnu s/o Sh. Ibrahim, r/o Village Kangela, P.O. Bhagaigarh, Tehsil Churah and Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 7475-0547-0269 my name is wrongly entered as Senu, which is incorrect. Whereas my correct name is Saihnu. I shall be known as Saihnu for all purposes in future. Please note.

SAIHNU
s/o Sh. Ibrahim,
r/o Village Kangela, P.O. Bhagaigarh,
Tehsil Churah and Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mandeep Sharma s/o Subhash Chander Sharma, r/o Lower Tipra Kattal, P.O. Surajpur, Madhala Road, Near Barotiwala, Distt. Solan (H.P.)-174103 have changed my son's name from Rudransh Sharma to Rudrransh Sharma for all future purposes. Whose Aadhar Number is 5793-8824-2794.

MANDEEP SHARMA
s/o Subhash Chander Sharma,
r/o Lower Tipra Kattal,
P.O. Surajpur, Madhala Road, Near Barotiwala,
Distt. Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Romi Kumari Rana w/o Sh. Surender Singh, r/o Village Riri Kut, P.O. Riri, Tehsil Jaswan, Distt. Kangra (H.P.) declare that I have changed my name from Romi Kumari Rana to Romi Thakur for all purposes in future. Concerned please may note.

ROMI KUMARI RANA
w/o Sh. Surender Singh,
r/o Village Riri Kut, P.O. Riri,
Tehsil Jaswan, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Surinder Verma s/o Late Sh. Het Ram Verma, r/o Ananya Cottage, Flat No. 1, Below Khana House, Sanjauli, Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Surender Kumar to Surinder Verma. All concerned please may note.

SURINDER VERMA
s/o Late Sh. Het Ram Verma,
r/o Ananya Cottage, Flat No. 1, Below Khana House,
Sanjauli , Shimla (H.P.).

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT, SHIMLA-171 004

NOTIFICATION

Dated, the 29th January, 2026

No. VS/Estt./DPC/6-39-79-V.—The Hon'ble Speaker in exercise of powers vested in him by virtue of Rule 7-A of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha Secretariat (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1974 is pleased to constitute Departmental Promotion Committee-2026, consisting of the following Officers:—

(i)	Secretary	. .	*Chairman*
(ii)	Joint Secretary/Deputy Secretary/Under Secretary	. .	*Member*
(iii)	Deputy Controller (F&A)	. .	*Member*
(iv)	Branch Officer/Section Officer(Establishment)	. .	*Member*

The Committee shall submit its recommendations for promotions, confirmations, completion of probation period(s) and benefits of one additional increment on completion of 15/20 years service etc. to H.P. Vidhan Sabha staff in the year, 2026.

By order,

Speaker,
H.P. Vidhan Sabha.

`

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट https://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।